बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, नेहरू पथ, पटना – 800001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bih.nic.in ई–मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

पत्रांक– 2458 पटना, दिनांक 18/12/2019

प्रेशकः–

कृषि निदेशक–सह–प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य बीज निगम लि0,
पटना

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी

विषयः– **बीज वितरण समापन की प्रक्रिया के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आकस्मिक फसल योजना, 2019 एवं रबी मौसम 2019–20 में बीज हेतु डीलरो से राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 18.12.2019 निर्धारित की गई है। अपने जिले के बीज के लक्ष्य एवं प्राप्त बीजों का आकलन उपरांत आवश्यकतानुसार बीज हेतु राशि डीलरों से दिनांक 18.12.2019 तक जमा करायें। निर्धारित तिथि तक जमा राशि के विरूद्व बीजों के आपूर्ति हेतु निगम के स्तर से डीलरवार अंतिम आवंटन दिनांक 20.12.2019 को किया जायेगा।

जिलों में प्राप्त बीजों का वितरण यथाशीघ्र चयनित किसानों के बीच APP के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाय। किसानों को बीज उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी कृषि समन्वयक (AC), प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO), जिला कृषि पदाधिकारी (DAO) एवं प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) (JDA) की है।

बीज वितरण की पूरी प्रक्रिया 10 जनवरी 2020 तक पूर्ण कर लेनी है। इसके लिए पंचायत स्तर से प्रमंडल स्तर तक के पदाधिकारियों को APP के माध्यम से बीज वितरण प्रमाण पत्र निगम को उपलब्ध कराना है। आकस्मिक फसल योजना, 2019 के बीज वितरण प्रमाण पत्र सहित रबी मौसम 2019–20 में विभिन्न योजनाओं में वितरित बीजों का प्रमाण पत्र देना है।

निगम के बीज वितरण APP पर बीज वितरण से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

> **प्रमाणित किया जाता है कि मेरे प्रभार के पंचायत (AC)/प्रखंड (BAO)/जिला (DAO)/प्रमंडल (JDA) के आकस्मिक फसल योजना, 2019 एवं रबी मौसम 2019–20 अन्तर्गत विभिन्न योजानाओ में प्राप्त बीजों का शत–प्रतिशत वितरण मेरे पर्यवेक्षण में संतोषप्रद रूप से लाभुको को कर दिया गया है। कहीं भी सरकारी सब्सिडी की राशि की हानि नहीं हुई है। बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन नहीं हुआ है।**

- उक्त का प्रमाण पत्र प्रथम स्तर पर APP पर कृषि समन्यवक (AC) द्वारा पंचायत स्तर के बीज वितरण को संपुष्ट करते हुये प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) को Forward किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र 10 जनवरी, 2020 तक अग्रसारित नहीं करने पर 11 जनवरी, 2020 को 1.00 बजे अपराह्न में यह Auto Forward होकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) को चला जायेगा।

R.R. 2019 Hindi Mark. 186

Scanned by CamScanner

- BAO द्वारा उक्त प्रमाण पत्र से संतुष्ट होने के बाद प्रखंड के सभी बीजों के वितरण का प्रमाण पत्र जिला कृषि पदाधिकारी (DAO) को Forward किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 14.01.2020 तक APP पर पूर्ण करेंगे। यदि 14 जनवरी 2020 तक नहीं करते है, तो 15 जनवरी को 1.00 बजे अपराह्न में यह Auto Forward होकर जिला कृषि पदाधिकारी को चला जायेगा।
- DAO द्वारा सभी BAO से Forward किये गये प्रमाण पत्रों की सत्यता जांच अपने स्तर से कर जिले के सभी बीजों के वितरण का प्रमाण पत्र प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) (JDA) को Forward किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 19.01.2020 तक APP पर अपलोड करेंगे एवं JDA को Forward करेगे। ऐसा नहीं करने पर 20 जनवरी, 2020 को 1.00 बजे अपराह्न मे JDA को यह स्वतः Auto Forward हो जायेगा।
- DAO से Forward प्रमाण पत्र को JDA द्वारा जिले को प्राप्त फसलवार बीजों की मात्रा एवं वितरण की समीक्षा अपने स्तर से करते हुये संबंधित जिले के बीज वितरण प्रमाण पत्र को संपुष्ट कर BRBN को Forward किया जायेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2020 तक बिहार राज्य बीज निगम लि0 को भेजना है। यदि निर्धारित तिथि तक Forward नहीं किया जाता है, तो 25 जनवरी, 2020 को बिहार राज्य बीज निगम लि0 को स्वतः Auto Forward हो जायेगा।

नोट :– Auto Forward होने की स्थिति में माना जायेगा कि आप कर्तव्य के प्रति उदासीन है और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना है। इस संबंध में विभागीय कार्यवाई की जा सकती है।

इस तरह बीज वितरण प्रक्रिया का समापन किया जायेगा। यदि पंचायत/प्रखंड स्तर पर कही बीज अवशेष बचता है, तो पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में राशि की वसूली KS/AC/BAO/DAO के वेतन से की जायेगी।

उपरोक्त के आलोक में सभी कृषि समन्वयक (AC), प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO), को अपने स्तर से संसूचित करते हुए आवश्यक कारवाई की जाय।

18.12.19

कृषि निदेशक–सह– प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 2458 / पटना दिनांक 18/12/19

प्रतिलिपि– सभी प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम/वरीय लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य बीज निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

18.12.19

कृषि निदेशक–सह– प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 2458 / पटना दिनांक 18/12/19

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि अपने से संबंधित जिलों के बीज वितरण का सतत् पर्यवेक्षण किया जाय एवं जिले में वितरित बीज का प्रमाण पत्र APP के माध्यम से निगम को Forward किया जाय।

18.12.19

कृषि निदेशक–सह– प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 2458 / पटना दिनांक 18/12/19

प्रतिलिपि– सचिव, कृषि को सूचनार्थ समर्पित।

18.12.19

कृषि निदेशक–सह– प्रबंध निदेशक

Scanned by CamScanner